(152)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 3(43)नविवि / 03

जयपुर, दिनांक : 17 AUG 2009

आदेश

इस विभाग द्वारा सरलीकरण, समयबद्ध एवं पारदर्शिता के अन्तर्गत 90 बी (3) से सम्बन्धित प्रकरणों के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 25.02.2009 को जारी परिपत्र के बिन्दु संख्या 18 (घ) व अन्य बिन्दुओं में स्पष्टीकरण के अभाव में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं सम्पूर्ण राज्य के अन्य स्थानीय निकायों में 90 बी (3) से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण अवरुद्ध है। ऐसी स्थिति में उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 18 (घ) व अन्य बिन्दुओं के संबंध में निम्न स्पष्टीकरण जारी किया जाता है –

1. परिपत्र दिनांक 25.02.09 के बिन्दु संख्या – 13(घ) के संबंध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरीयकरण सीमा के बाहर रोड नेटवर्क प्लान से तात्पर्य नेशनल हाइवे / स्टेट हाइवे, नगरीय निकायों / ग्रामीण सडको / रीको / राजस्थान आवासन मण्डल / सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत / निर्मित सडकें आदि भी शामिल हैं, अर्थात समस्त नगरीय निकायों द्वारा नगरीयकरण सीमा से बाहर के ऐसे क्षेत्र जहां सेक्टर प्लान / ड्राफ्ट मास्टर प्लान इत्यादि बनाये गये हैं या नहीं बनाये गये हैं, परन्तु आवेदक की भूमि उपरोक्त वर्णित / नियोजित सडकों से सम्पर्क प्राप्त होता है, उपरोक्त वर्णित / नियोजित सडकों पर लगती हुई हो अथवा परिपत्र के बिन्दु संख्या 12 के अन्तर्गत आवंटित भूमि को सम्पर्क सडक प्राप्त होती है, तो ऐसे प्रकरणों में भू उपयोग परिवर्तन, 90 बी (3) एवं नक्शा अनुमोदन की कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु ऐसे प्रकरण जिनमें परियोजना स्थल तक पहुंच हेतु किसी भी प्रकार की स्थानीय सडक नियोजित नहीं की गई है, ऐसे प्रकरणों में 90-बी (3) कार्यवाही स्थानीय संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में उल्लेखित योजनाओं के अतिरिक्त भी निकाय जिन योजनाओं को विकास की दृष्टि से उचित समझे, इन योजनाओं को राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर परियोजनाओं को निकाय स्तर पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

2. परिपत्र दिनांक 25.02.09 के बिन्दु संख्या 15 से 17 व 22 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उपान्तरण एवं रूपान्तरण के जितने क्षेत्रफल तक के अधिकार निकायों को प्रदत्त किया गया है, उस स्तर तक ऐसे उपान्तरण एवं रूपान्तरण को स्वीकार / अस्वीकार करने के प्रकरणों का निस्तारण संबंधित नगरीय निकाय स्तर पर किया जायेगा। परन्तु इससे अधिक क्षेत्रफल के लिए अस्वीकृति के प्रकरण कारण सहित राज्य स्तरीय समिति / राज्य सरकार को अंतिम निर्णय हेतु प्रेषित किये जावेंगे।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव